वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद-360)

यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या भारत की साख (credit) संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है

- भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया।

वित्तीय आपात की अवधि कैसे बढ़ाई जाए -

वित्तीय आपातकाल लागू होने के दो (2) महीने की अवधि में दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव अनुमोदित होनी चाहिए।

वित्तीय आपात का अनुमोदन संसद को बार-बार नहीं करना पड़ता परन्तु, दो महीने की अवधि में यदि लोकसभा भंग हो जाए, तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिनों की अवधि में इसका अनुमोदन करें परन्तु इस बीच राज्य सभा द्वारा यह अनुमोदित होना चाहिए।

वित्तीय आपात की अधिकतम सीमा ~~का~~ का वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है।

समाप्त करने का प्रावधान

राष्ट्रपति कभी भी वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने की उद्घोषणा कर सकता है।

Scanned with CamScanner

संघ एवं राज्य संबंधों पर प्रभाव :-

- राज्य के क्रियाकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किन्हीं व्यक्तियों के वेतन या भत्तों में कटौती की जा सकती है।

- राष्ट्रपति के द्वारा संघ सरकार के अन्तर्गत कार्य करने वाले किसी वर्ग या सभी अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के द्वारा संघ सरकार के अंतर्गत कार्य करनेवाले किसी वर्ग या सभी अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है इसमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन और भत्ते भी शामिल है।
- संघ सरकार के द्वारा राज्यों को किसी भी वितीय मामले पर निर्देश दिए जा सकते है।

* अनु० 207 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

* हरगोविन्द वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद-356 का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे तथा बोम्मई वाद में कहा कि अगर दुरुपयोग हुआ, तो न्यायपालिका, भंग विधानमंडल को भी बहाल कर देगी।

बोम्मई वाद का निर्णय और अनुच्छेद - 356

44वें संविधान संशोधन 1978 में ही प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का न्यायिक पुनरावलोकन

किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की राय न्यायिक पुनरावलोकन से परे नहीं है।

- 1994 में बोम्मई वाद में न्यायपालिका ने अनु-356 के संदर्भ में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसकी मूल विशेषताएँ निम्न है:-

(1.) राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा।

(2.) राष्ट्रपति शासन का वैधानिक आधार पर प्रयोग होना चाहिए और ऐसी वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जिसके कारण इसका प्रयोग किया गया।

(3) न्यायपालिका ने यहाँ तक कहा कि यदि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता है तो न्यायपालिका भंग हुई विधान सभा को भी पुनर्जीवित कर सकती है।

(4) राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात् जब तक दोनो सदनों का अनुमोदन प्राप्त नहीं, विधान सभा भंग नहीं हो सकती, केवल निलंबित रहेगी।